न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 74/2016
प्रकरण दर्ज तिथि :— 17.08.2016
जीसीएमएस नम्बर :— 2016/00156

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि प्रभुराम जाति सिरवी निवासी बिराटिया खुर्द		1. बृजकंवर पत्नि स्व. उम्मेदसिंह 2. भुपेन्द्रसिंह पुत्र स्व. उम्मेदसिंह 3. अश्वनीकुमारसिंह पुत्र स्व. उम्मेदसिंह जातियान राजपुत निवासीगण बिराटिया खुर्द 4. भंवरलाल पुत्र ओगड़राम जाति सिरवी 5. भोलाराम पुत्र ओगड़राम जाति सिरवी 6. बिरदाराम पुत्र नैनाराम जाति सिरवी 7. ढगलाराम पुत्र पुनाराम जाति देवासी 8. दरिया देवी पत्नि ढगलाराम जाति देवासी जाति सिरवी निवासीगण बिराटिया खुर्द 9. राकेश कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति सिरवी निवासी बिराटिया खुर्द हाल 138/2 M.T.H. Road Villivakkam chenar 600009 10. गोपीचन्द पुत्र उरजाराम जाति सिरवी निवासी लिलाम्बा हाल 58 M.T.H. Road Villivakkam chenar 600009 11. शाखा प्रबधंक एस.बी.बी.जे. शाखा रायपुर 12. पटवारी हल्का बिराटिया खुर्द 13. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 188 राज. काश्त. अधि. एंव धारा 53 "ए" राज. टि.एक्ट

1 श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित (एकपक्षीय)

निर्णय **दिनांकः 03.03.2022**

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. एंव धारा 53 "ए" राज. टि. एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द के खसरा नंबर 750 रकबा 80 बिघा किश्म बारानी अव्वल उपरोक्त खातेदारी जमीन की जमाबन्दी साथ पेश की जा रही हैं जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावें। उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमीन में वादीया खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 के पिता उम्मेदसिंह पुत्र फौजासिंह जाति राजपुत निवासी बिराटिया खुर्द से 31 बिघा 05 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 30.06.2004 को 2,81,000 /— अक्षरे दो लाख अठारह हजार रूपये में खरीद की तब से उक्त जमीन पर वादीया का कब्जा काष्त चला आ रहा हैं तथा नियमानुसार वादीया का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया वादीया अपने हक हिस्से की जमीन पर मौके पर काबिज होकर उक्त जमीन का उपयोग उपभोग बहैसियत मालिक बिना किसी रोक टोक के करती आ रही है। पद संख्या 1 में वर्णित जमीन वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 की संयुक्त सामलाती खातेदारी जमीन हैं जिसका मौके पर बन्टवाड़ा हो रखा हैं जिस कारण रेकर्ड व नक्शे में बाई मिट्स एण्ड़ बाऊण्ड़स बन्टवाड़ा नही हो

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

रखा हैं जिस कारण से वादीया व प्रतिवादीगण के मौके पर काफी विवाद होते रहते हैं तथा प्रतिवादीगण, वादीया को उनके हक हिस्से की जमीन से बेदखल कर की धमकीया दे रहे हैं तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं व जमीन का बाई मिट्स एण्ड़ बाऊण्ड्स बन्टवाड़ा नही होने से वादीया अपने हक हिस्से की जमीन को अधिक उपजाऊ व समतल इत्यादि भी नही बनवा पा रहे हैं तथा अपनी जमीन पर लॉन इत्यादि लेने में भी काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर बाई मिट्स एण्ड़ बाऊण्ड्स बन्टवाड़ा नही होने के कारण प्रतिवादीगण वादीया के हक हिस्से में काफी परेषानीयों पैदा कर रहे हैं। मौके पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो जिस कारण से वादीया उक्त सम्पूर्ण जमीन का बन्टवाड़ा करवाना चाहती है। ताकि वादीया व प्रतिवादीगया के मध्य किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो सके वादीया ने अपने हक हिस्से की जमीन में काफी खाद इत्यादि डाल कर उपजाऊ बनाया हैं तथा हजारों रूपये खर्च कर अपने हक हिस्से की जमीन में मिट्टी इत्यादि डाल कर उपजाऊ बनाया है। जिस कारण से वादीया मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड़ बाऊण्ड्स बन्टवाड़ा करवाने की अधिकारी है।

डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वाद के पद संख्या 1 में वर्णित जमीन में वादीया के हक हिस्से में वादीया के उपयोग उपभोग काश्त व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व बाधा उत्पन्न नही करें, और ना ही वादीया को कब्जे से बेदखल आदि करें, और ना ही बिना बन्टवाड़ा करवाये जमीन का बैचान बक्शीक्ष करें, और ना ही उक्त जमीन को भारयुक्त करें इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावें।

अतः वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 7, 8 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र बागड़ी ने वकालतनामा पेश किया, पश्चात् अनुपस्थित। शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित। शेष प्रतिवादी बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता ने मौके पर कब्जा काश्त एंव रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाऊण्ड्स करने की प्रार्थना करते है। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर एकपक्षीय बहस सुनी। वकील वादी माफिक रेकर्ड एंव मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें के आदेश दिया जाना न्यायोंचित समझतें है।

अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/449 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (है.)	किश्म	लगान रू
1	श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि प्रभुराम कौम सीरवी	750	5.0585	बा. अ	19.37
2	श्री भंवरलाल पुत्र ओगडराम 840/3587, भोलाराम पुत्र ओगडराम 840/3587, पुखराम पुत्र ओगडराम 840/3587, विरदाराम पुत्र नैनाराम 1943/78914, राकेश कुमार पुत्र प्रभुराम 1215/78914, कौम सीरवी	750/8	7.8914	बा. अ	30.33

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	सा. देह, गोपीचन्द्र पुत्र. उरजाराम 1215/78914 कौम सीरवी सा. लीलाम्बा उम्मेदसिंह पुत्र फौजसिंह 12303/78914, कौम राजपूत सा. देह दरियादेवी पत्नि ढगलाराम 119/2321 कौम देवासी सा. देह ओमप्रकाश पुत्र सुगनचन्द्र 1376/39457 कौम छीपा सा. पीसांगन (अजमेर) खातेदार रहन दरियादेवी का हिस्सा एसबीआई रायपुर।				

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :-

क.सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (है.)	किश्म	लगान रू
1	श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि प्रभुराम कौम सीरवी	750	5.0585	बा. अ	19.37
2	श्री भंवरलाल पुत्र ओगडराम 840/3587, भोलाराम पुत्र ओगडराम 840/3587, पुखराम पुत्र ओगडराम 840/3587, विरदाराम पुत्र नैनाराम 1943/78914, राकेश कुमार पुत्र प्रभुराम 1215/78914, कौम सीरवी सा. देह, गोपीचन्द्र पुत्र. उरजाराम 1215/78914 कौम सीरवी सा. लीलाम्बा उम्मेदसिंह पुत्र फौजसिंह 12303/78914, कौम राजपूत सा. देह दरियादेवी पत्नि ढगलाराम 119/2321 कौम देवासी सा. देह ओमप्रकाश पुत्र सुगनचन्द्र 1376/39457 कौम छीपा सा. पीसांगन (अजमेर) खातेदार रहन दरियादेवी का हिस्सा एसबीआई रायपुर।	750/8	7.8914	बा. अ	30.33

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादी:

1. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि प्रभुराम जाति सिरवी निवासी बिराटिया खुर्द

प्रतिवादीगण:

1. बृजकंवर पत्नि स्व. उम्मेदसिंह
2. भुपेन्द्रसिंह पुत्र स्व. उम्मेदसिंह
3. अश्वनीकुमारसिंह पुत्र स्व. उम्मेदसिंह जातियान राजपुत निवासीगण बिराटिया खुर्द
4. भंवरलाल पुत्र ओगड़राम जाति सिरवी
5. भोलाराम पुत्र ओगड़राम जाति सिरवी
6. बिरदाराम पुत्र नैनाराम जाति सिरवी
7. ढगलाराम पुत्र पुनाराम जाति देवासी
8. दरिया देवी पत्नि ढगलाराम जाति देवासी जाति सिरवी निवासीगण बिराटिया खुर्द
9. राकेष कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति सिरवी निवासी बिराटिया खुर्द हाल 138/2 M.T.H. Road Villivakkam chenar 600009
10. गोपीचन्द पुत्र उरजाराम जाति सिरवी निवासी लिलाम्बा हाल 58 M.T.H. Road Villivakkam chenar 600009
11. शाखा प्रबधंक एस.बी.बी.जे. शाखा रायपुर
12. पटवारी हल्का बिराटिया खुर्द
13. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 188 राज. काश्त. अधि. एंव धारा 53 "ए" राज. टि.एक्ट
राजस्व वाद 74/16

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (है.)	किश्म	लगान रू
1	श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि प्रभुराम कौम सीरवी	750	5.0585	बा. दो	19.37
2	श्री भंवरलाल पुत्र ओगडराम 840/3587, भोलाराम पुत्र ओगडराम 840/3587, पुखराम पुत्र ओगडराम 840/3587, विरदाराम पुत्र नैनाराम 1943/78914, राकेश कुमार पुत्र प्रभुराम 1215/78914, कौम सीरवी सा. देह, गोपीचन्द्र पुत्र. उरजाराम 1215/78914 कौम सीरवी सा. लीलाम्बा उम्मेदसिंह पुत्र फौजसिंह 12303/78914, कौम राजपूत सा. देह दरियादेवी पत्नि ढगलाराम 119/2321 कौम देवासी सा. देह ओमप्रकाश पुत्र सुगनचन्द्र 1376/39457 कौम छीपा सा. पीसांगन (अजमेर) खातेदार रहन दरियादेवी का हिस्सा एसबीआई रायपुर।	750/8	7.8914	बा. दो	30.33

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज..................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.03.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	12	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	26	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	10	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		58	00			01	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म **पर** कुल खर्चा **यह** हो फरीकेन को चाहे **डिक्री** के **जरिए** **दिलाया** गया हो नही दर्ज किया जावें।